



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

एवं

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha



वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक गुण०वि०/ समग्र-बैंगलेस दिवस/ 3496/2026-27 दिनांक 07.07.2026

विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में 10 बैंगलेस दिवसों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से एकीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में कौशल निर्माण, श्रम की गरिमा एवं भारतीय हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस विषय पर बल दिया गया है कि विद्यार्थियों को कक्षा-6 से ही व्यावसायिक विषयों से अवगत कराया जाए तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन महत्व के स्थानों/स्मारकों से जागरूक किया जाए, जिससे कि विद्यार्थियों को विद्यालय के बाहर की महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक गतिविधियों से भी अवगत कराया जा सके। इस परिप्रेक्ष्य में एक शैक्षिक सत्र में 10 बैंगलेस दिवसों की संकल्पना की गई है।

2- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुपालन में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों में गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, विभिन्न क्लब्स का गठन, स्पोर्ट्स गतिविधियां, लर्निंग बाइ इडिंग कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का क्रियान्वयन पूर्व से ही किया जा रहा है। इसी सातत्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० द्वारा परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के विद्यार्थियों के उपयोगार्थ प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 10 बैंगलेस दिवसों के क्रियान्वयन हेतु 'आनंदम' मार्गदर्शिका विकसित की गयी है।

3- उद्देश्य :-

1. आनंदमय वातावरण: विद्यार्थियों को आनंदमय वातावरण में सीखने का अनुभव प्रदान करना।
2. अनुभवात्मक शिक्षा: विद्यार्थियों को व्यवहारिक एवं अनुभवजन्य शिक्षा प्रदान करना।
3. समग्र विकास: शिक्षा में समग्र और समावेशी विकास पर बल देना, जिससे कि विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ ही वास्तविक जीवन की स्थितियों में निष्पक्ष विश्लेषण और मूल्यांकन की समझ विकसित हो सके।
4. कौशल विकास: अवलोकन-आधारित सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना तथा कौशल आधारित गतिविधियों के माध्यम से श्रम की गरिमा को बढ़ाना।
5. सामुदायिक जुड़ाव: समुदाय के साथ जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता की भावना विकसित करना।
6. व्यवसायिक उन्मुखीकरण: विद्यार्थियों में स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों तथा स्थानीय व्यवसायों की समझ विकसित करना, जिससे कि भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें।
7. राष्ट्रीय संकल्पना: आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'ओ०डी०ओ०पी०' (ODOP) की अवधारणा के प्रति जागरूक करना।

4- गतिविधियां एवं क्रियान्वयन-

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० द्वारा विकसित 'आनंदम' मॉड्यूल में 10 बैंगलेस दिवसों के क्रियान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। इस मॉड्यूल में 34 विषय/गतिविधियों की सूची दी गई है। यह मॉड्यूल मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित है:-

भाग 1: विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी।

भाग 2: सार्वजनिक कार्यालय, स्थानीय उद्योग और व्यवसाय।

भाग 3: कला, संस्कृति और इतिहास।

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में 10 Bagless days संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन शिक्षकों के निर्देशन में शनिवार को किया जाएगा। तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:-

1. **प्रशिक्षण :** परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में बैगलेस डे संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किये जायेंगे।
2. **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण** के समय SRG, ARP एवं डायट मॉडल द्वारा बैगलेस दिवस के महत्वपूर्ण विषयों पर शैक्षिक सपोर्ट प्रदान किया जाएगा।
3. **गतिविधियों का कैलेंडर :-**

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026-27 (माह अगस्त, 2026 से नवम्बर, 2026) में शनिवार को 10 बैगलेस डे संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समय-सारिणी निम्नवत् है :-

क्रम	माह	प्रस्तावित तिथि	गतिविधि विकल्प-1	गतिविधि विकल्प-2	गतिविधि विकल्प-3
1.	अगस्त, 2026	22 अगस्त (चतुर्थ शनिवार)	मिट्टी से खिलौना, मूर्ति एवं कलाकृति निर्माण	स्थानीय कुम्हार/ शिल्पकार के साथ कौशल कार्यशाला	विद्यालय कला एवं शिल्प प्रदर्शनी
2.	अगस्त, 2026	29 अगस्त (पंचम शनिवार)	औषधीय पौधों का उद्यान विकास	कम्पोस्ट एवं वर्मी कम्पोस्ट निर्माण	विद्यालय रसोई उद्यान (Kitchen Garden)
3.	सितम्बर, 2026	12 सितम्बर (द्वितीय शनिवार)	जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन अध्ययन	मृदा परीक्षण एवं कृषि विज्ञान गतिविधियाँ	जैविक खेती एवं प्राकृतिक कृषि परिचय
4.	सितम्बर, 2026	19 सितम्बर (तृतीय शनिवार)	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा घाइल सेपटी (गुड टच एवं बैड टच)	सिलाई एवं डिजाइन का कार्य तथा कठपुतली निर्माण एवं कहानी मंचन	जूट से कापट निर्माण एवं निष्प्रयोज्य वस्तुओं से गुड़िया बनाने की कला
5.	सितम्बर, 2026	26 सितम्बर (चतुर्थ शनिवार)	पतंग निर्माण एवं उड़ान विज्ञान	सरल विज्ञान एवं नवाचार प्रयोगशाला	STEM मॉडल निर्माण प्रतियोगिता
6.	सितम्बर, 2026	03 अक्टूबर (प्रथम शनिवार)	मिनी बैक एवं वित्तीय साक्षरता	उद्यमिता एवं व्यवसाय मॉडल गतिविधि	स्थानीय बैक/ डाकघर/पुलिस थाने/निजी उद्योग का भ्रमण
7.	अक्टूबर, 2026	10 अक्टूबर (द्वितीय शनिवार)	डूडलिंग एवं दृश्य रचनात्मकता कार्यशाला	म्यूरल (भित्ति चित्र) निर्माण	संगीत, नृत्य, नाटक एवं अन्य गतिविधियाँ
8.	अक्टूबर, 2026	17 अक्टूबर (तृतीय शनिवार)	फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी	राष्ट्रीय/ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा	सार्वजनिक कार्यालयों का भ्रमण/ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया
9.	अक्टूबर, 2026	24 अक्टूबर (चतुर्थ शनिवार)	निर्माण स्थल एवं सार्वजनिक अवसंरचना अध्ययन	स्थानीय उद्योग/ कारीगर इकाई भ्रमण	जलापूर्ति एवं सार्वजनिक सेवाओं का अध्ययन
10.	अक्टूबर, 2026	31 अक्टूबर (पंचम शनिवार)	कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं रोबोटिक्स परिचय	Scratch Coding एवं कम्प्यूटेशनल थिंकिंग	ड्रोन, सेंसर एवं उभरती प्रौद्योगिकी परिचय
11.	नवम्बर, 2026	14 नवम्बर (द्वितीय शनिवार)	छात्र-छात्राओं द्वारा बैगलेस डे के अन्तर्गत क्रियान्वित गतिविधियों, प्रोजेक्ट कार्य आदि के संबंध में बाल मेले का आयोजन। उक्त बाल मेले में अभिभावकों एवं एस0एम0सी0 सदस्यों को भी आमंत्रित किया जायेगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जायेगा।		
उपर्युक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल अनुमन्य धनराशि					₹ 6500.00

नोट- सत्र परीक्षा एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की स्थिति में बैगलेस डे संबंधी गतिविधियाँ आगामी शनिवार को आयोजित की जायेंगी।

उपर्युक्तानुसार धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों/सामग्री कय पर किया जा सकता है:-

- मिट्टी, रंग, ब्रश, चार्ट, स्टेशनरी एवं हस्तशिल्प सामग्री।
- पौधे, बीज, जैविक खाद, उद्यान उपकरण एवं पर्यावरणीय गतिविधि सामग्री।
- विज्ञान प्रयोग सामग्री, STEM किट एवं मॉडल निर्माण सामग्री।
- मृदा परीक्षण किट, जल परीक्षण किट एवं पर्यावरण अध्ययन सामग्री।

- कठपुतली, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ हेतु स्थानीय सामग्री।
- डूडलिंग, म्यूरल एवं दृश्य कला सामग्री।
- स्थानीय विशेषज्ञों, कलाकारों एवं रिसोर्स पर्सन की सेवाओं हेतु सीमित प्रोत्साहन धनराशि।
- भ्रमण, प्रकृति अध्ययन एवं फील्ड विजिट हेतु स्थानीय परिवहन सहायता (आवश्यकतानुसार)।
- AI, रोबोटिक्स एवं कोडिंग गतिविधियाँ हेतु डिजिटल लोकल संसाधन।
- प्रदर्शनी, प्रमाण-पत्र, अभिलेखीकरण एवं प्रस्तुतीकरण सामग्री।
- आवश्यकतानुसार स्थानीय कलाकार, कला/संगीत शिक्षक अथवा डिजाइन विशेषज्ञ को सीमित दैनिक प्रोत्साहन धनराशि।

5- गतिविधि क्रियान्वयन हेतु सुझाव :-

1. गतिविधि चयन: गतिविधियों के चयन में स्थानीय आवश्यकता और परिवेश के अनुरूप यथावश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।
2. संसाधन जुटाना: प्रधानाध्यापक द्वारा उपर्युक्त बिन्दु 4(3)- 'गतिविधियों का कैलेंडर', में उल्लिखित गतिविधियों के उपयोगार्थ सामग्री की व्यवस्था तथा आवश्यकतानुसार संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी। इस प्रयोजन हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत व्यय की अनुमति प्रदान की जा रही है।
3. सामुदायिक सहभागिता: प्रधानाध्यापक और शिक्षक द्वारा स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, विशेषज्ञों और समुदाय के अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। लर्निंग बाइ डूइंग कार्यक्रम हेतु चयनित विद्यालयों में सुझावात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त लर्निंग बाइ डूइंग की गतिविधियाँ भी संचालित की जा सकती हैं।
4. समावेशी वातावरण: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) की भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने हेतु योजना बनाई जाए तथा इसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जाये।
5. अभिभावक जागरूकता: शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को 10 बैगलेस दिवसों के महत्व से अवगत कराया जाए और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
6. अभिलेखीकरण: गतिविधियों का अभिलेखीकरण किया जाए तथा बैगलेस दिवस संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन के फोटोग्राफ (High Resolution Photos), लघु वीडियो तथा Best Practices संकलित कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जायें।

6- वित्तीय निर्देश

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Project Innovation (Recurring) के अन्तर्गत Project Based Learning/Bagless Days मद में ₹0 6500/- प्रति उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालय की दर से स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्कम में समग्र शिक्षा के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में बैगलेस डे संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जनपदों को कुल धनराशि ₹0 2894.2550 लाख (रुपये अट्ठाइस करोड़ चौरानबे लाख पच्चीस हजार पाँच सौ मात्र) की लिमिट जारी की जायेगी। तत्संबंधी जनपदवार विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है :-

2026-27 Released Budget for Bagless Days (UPS)					
Released Head & Component code		Major component : Quality Intervention			
		Sub component : Fund for quality (LEP, Innovation, Guidance etc)			
		Activity : Innovation Project (Elementary Recurring)			
		Sub Activity : Bagless Day			
		Component code : F.01.12.20			
In lakh					
S No	District Name	Recommended Budget under Bagless day		Released Budget for Youth & Bagless Days	
		Phy.	Fin @ 0.065	Phy.	Fin @ 0.065
1	2	3	4	5	6
1	AGRA	851	55.315	851	55.3150
2	ALIGARH	719	46.735	719	46.7350

3	AMBEDKAR NAGAR	501	32.565	501	32.5650
4	AMETHI - CSM NAGAR	415	26.975	415	26.9750
5	AURAIYA	445	28.925	445	28.9250
6	AZAMGARH	943	61.295	943	61.2950
7	BAGHPAT	182	11.830	182	11.8300
8	BAHRAICH	960	62.400	960	62.4000
9	BALLIA	610	39.650	610	39.6500
10	BALRAMPUR	634	41.210	634	41.2100
11	BANDA	621	40.365	621	40.3650
12	BARABANKI	830	53.950	830	53.9500
13	BAREILLY	771	50.115	771	50.1150
14	BASTI	621	40.365	621	40.3650
15	BHADOI	354	23.010	354	23.0100
16	BIJNOR	748	48.620	748	48.6200
17	BUDAUN	640	41.600	640	41.6000
18	BULANDSHAHR	745	48.425	745	48.4250
19	CHANDAUJI	457	29.705	457	29.7050
20	CHITRAKOOT	438	28.470	438	28.4700
21	DEORIA	714	46.410	714	46.4100
22	ETAH	552	35.880	552	35.8800
23	ETAWAH	527	34.255	527	34.2550
24	FAIZABAD	554	36.010	554	36.0100
25	FARRUKHABAD	557	36.205	557	36.2050
26	FATEHPUR	734	47.710	734	47.7100
27	FIROZABAD	614	39.910	614	39.9100
28	GAUTAM BUDDHA NAGAR	208	13.520	208	13.5200
29	GHAZIABAD	188	12.220	188	12.2200
30	GHAZIPUR	779	50.635	779	50.6350
31	GONDA	877	57.005	877	57.0050
32	GORAKHPUR	807	52.455	807	52.4550
33	HAMIRPUR (U.P.)	366	23.790	366	23.7900
34	HAPUR (PANCHSHEEL NAGAR)	202	13.130	202	13.1300
35	HARDOI	1002	65.130	1002	65.1300
36	HATHRAS	444	28.860	444	28.8600
37	JALAUN	548	35.620	548	35.6200
38	JAUNPUR	850	55.250	850	55.2500
39	JHANSI	553	35.945	553	35.9450
40	JYOTIBA PHULE NAGAR (AMROHA)	472	30.680	472	30.6800
41	KANNAUJ	444	28.860	444	28.8600
42	KANPUR DEHAT	657	42.705	657	42.7050
43	KANPUR NAGAR	611	39.715	611	39.7150
44	KANSHIRAM NAGAR	429	27.885	429	27.8850
45	KAUSHAMBI	460	29.900	460	29.9000
46	KHERI	1105	71.825	1105	71.8250
47	KUSHINAGAR	800	52.000	800	52.0000
48	LALITPUR	481	31.265	481	31.2650
49	LUCKNOW	456	29.640	456	29.6400
50	MAHARAJGANJ	645	41.925	645	41.9250

M.

51	MAHOBA	348	22.620	348	22.6200
52	MAINPURI	544	35.360	544	35.3600
53	MATHURA	581	37.765	581	37.7650
54	MAU	431	28.015	431	28.0150
55	MEERUT	419	27.235	419	27.2350
56	MIRZAPUR	588	38.220	588	38.2200
57	MORADABAD	513	33.345	513	33.3450
58	MUZAFFARNAGAR	371	24.115	371	24.1150
59	PILIBHIT	563	36.595	563	36.5950
60	PRATAPGARH	709	46.085	709	46.0850
61	PRAYAGRAJ	970	63.050	970	63.0500
62	RAE BARELI	602	39.130	602	39.1300
63	RAMPUR	621	40.365	621	40.3650
64	SAHARANPUR	557	36.205	557	36.2050
65	SAMBHAL (BHIM NAGAR)	465	30.225	465	30.2250
66	SANT KABIR NAGAR	430	27.950	430	27.9500
67	SHAHJAHANPUR	875	56.875	875	56.8750
68	SHAMLI (PRABUDH NAGAR)	203	13.195	203	13.1950
69	SHRAWASTI	383	24.895	383	24.8950
70	SIDDHARTH NAGAR	711	46.215	711	46.2150
71	SITAPUR	1122	72.930	1122	72.9300
72	SONBHADRA	654	42.510	654	42.5100
73	SULTANPUR	592	38.480	592	38.4800
74	UNNAO	814	52.910	814	52.9100
75	VARANASI	340	22.100	340	22.1000
	Total	44527	2894.255	44527	2894.2550

उक्त धनराशि संबंधी लिमिट निम्नांकित निर्देशों के अधीन निर्गत की जायेगी :-

- 1) प्रेषित की जाने वाली धनराशि का व्यय SNA-SPARSH पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- 2) प्रेषित की जाने वाली धनराशि संबंधी लिमिट जारी होने के उपरान्त **03 दिवस के अन्दर** विद्यालयों के एस०एम०सी० खाते में अन्तरित की जायेगी।
- 3) उक्त धनराशि आवर्तक मद (Recurring Head) के अन्तर्गत निर्गत की जायेगी।
- 4) भुगतान करते समय बजट शीट में अंकित PFMS Component Code एवं गतिविधि का चयन सावधानी पूर्वक किया जायेगा तथा उल्लिखित मद से ही भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का उपभोग उल्लिखित मद में अवश्य भरा जायेगा।
- 6) स्वीकृत धनराशि का उपभोग अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत बजट के अतिरिक्त देयताओं का सृजन करना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
- 7) व्यय से संबंधित बिल वाउचर विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जायेंगे एवं नियमानुसार आंतरिक एवं वैधानिक सम्प्रेक्षण के समय प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 8) जारी धनराशि का व्यय-विवरण पोर्टल पर अपलोड कराये जाने का उत्तरदायित्व जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) का होगा।
- 9) गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सामग्री कय में किसी भी दशा में केन्द्रीयकृत प्रक्रिया अमल में नहीं लायी जायेगी तथा कय हेतु अवमुक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय निर्देशानुसार विद्यालय स्तर पर ही किया जायेगा।

M.

7- अनुश्रवण :-

- 1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुश्रवण करते हुये गतिविधियों का समयान्तर्गत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- 2) विद्यालय स्तर पर सामग्री के समयान्तर्गत क्रय, गुणवत्ता एवं उपलब्धता तथा बैगलेस डे गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- 3) विद्यालयों के निरीक्षण तथा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान बैगलेस डे संबंधी आयोजित की गयी गतिविधियों के संबंध में भी अनुश्रवण किया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 में 10 बैगलेस दिवस गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से सर्वसंबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,


(मोनिका रानी)

राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गुण0वि0/ समग्र शिक्षा-बैगलेस दिवस/ 3496/2026-27 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, निशातगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
6. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
10. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं जिला समन्वयक (निपुण भारत मिशन), समग्र शिक्षा, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।


(मोनिका रानी)

राज्य परियोजना निदेशक